्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज0

ोठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

ाजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 87/2017

CMS No. : 2017/00177

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. श्री कृष्ण पालीवाल पुत्र रामरतन पालीवाल कौम पालीवाल सा0 कुशालपुरा 2. चुन्नीलाल पुत्र भानाराम कौम कुमावत सा0 कुशालपुरा 3. राकेश चौहान पुत्र दुर्गाराम चौहान कौम माली सा0 बांजाकुड़ी

जस्व प्रार्थना पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 955**

तारीख रजू – : 02.05.2017

ुस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/05/2022**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना त्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 61/9 कुल रकबा 11–05 बीघा, मौजा पातुस** स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के ातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 03 ने साथ मिलकर जमीन र्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक किया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ रखें जानें वाले रास्ते ् पीलर लगा कर जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है तिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना परिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को ाजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान रकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। ावा हाजा के लिए मुखासमत **दिनांक 06.04.2017** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने ादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **आवासीय कॉलोनी (प्लॉटिंग)** का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित्त रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं

ना पत्र में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार आराजी खसरा
बर 61/9 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा मौजा पातुस पटवार हल्का बिरोल में स्थित होनें
कथन सही होनें से स्वीकार है, साथ ही उक्त भूमि मौके पर कृषि भूमि है तथा बतौर कृ
प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन
तिया असत्य झूठे व बेबुनियाद होनें से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण की भूमि खसरा
म्बर 61/9 कृषि भूमि है तथा वक्त खरीद से ही कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही
। जब भूमि का उपयोग ही कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है। जब भूमि का
पयोग ही कृषि कार्य के लिये है, तो इसका भू-रूपान्तरण भी करवाया जानें का कोई
वश्यकता नहीं हैं। मौके पर न तो आवासीय कॉलोनी बसाई गई है न ही आवासीय
ॉलोनी के प्रयोजनार्थ कोई रास्ते बनाये गये है। इस भूमि के खातेदारों में आपसी सहमति
चुन्दड़ी बंट/बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हिस्से अनुसार मुड्डा गड्डी के पत्थर/मुड्डे
गाये गये है। केवल ऐसे पत्थरों के आधार पर इस कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ
म में लिया जाना नहीं माना जा सकता है। इससे सम्बन्धित मौका स्थिति के फोटोग्राफ
ौर सबुत जवाब दावा के साथ पेश हैं। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होनें से
स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद
नें से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण की भूमि खसरा नम्बर 61/9 कृषि भूमि है तथा
क्त खरीद से ही कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है। इस प्रकार से जवाब
न्दागण ने टिनेन्सी एक्त के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया है तथा मौके पर किसी
प्रकार से कृषि कार्य से भिन्न निर्माण इत्यादि नहीं किया गया हैं। इससे सम्बन्धित मौका
थति के फोटोग्राफ बतौत सबूत जवाब दावा के साथ पेश है। इस प्रकार से जवाब
न्दागण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना कतई गलत होनें से वादी की
ोर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा
म्पूर्ण वाद असत्य होनें से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 04 बिनाय वाद कतई
सत्य झूठा बेबूनियाद होनें से अस्वीकार है। साथ ही वादी जवाब देहन्दागण के विरूद्ध कोई
बिनाय वाद प्राप्त नहीं होता है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के होने से
खारिज किया जावें। वादपत्र के पद संख्या 05 व 06 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत
ला के है। वादपत्र के पद संख्या 07 में वर्णित वादी की इस्तदुआं कतई असत्य झूठी
बेबूनियाद होनें से अस्वीकार है। वादी जवाब देहन्दागण के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष प्राप्त
करनें के कतई अधिकारी नहीं होनें से वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के
होनें से खारिज किया जावें। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं उभयपक्ष
अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पातुस तहसील जैतारण की खसरा संख्या 61/9 कुल रकबा 1[illegible] बीघा किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि जिसके प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है [illegible] उक्त कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले रास्ते के पिलर आदि लगाकर बिना संपरिवर्तन कराये उक्त कृषि भूमि का आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ हेतू किया जा रहा है। जो कि टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व कृषि भूमि की उत्पादकता के विरूद्ध हानिप्रद कार्य है। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि
ाब देहन्दा द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ ही काम लिया जा
है। मौके पर कृषि से भिन्न अन्य कोई उपक्रम/उद्योग/आवासीय निर्माण किया हुआ
ी है। अतः भू रूपान्तरण भी करवाया जाना आवश्यक नही है। मौके पर न तो
वासीय कॉलोनी बसाई है न ही इस प्रयोजनार्थ कोई रास्ते बनाये गये है। इस भूमि
खातेदारो ने आपसी सहमति से चुंदड़ीबंट कर अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़े करने से
पने हिस्से की भूमि की मुड्डा गढी करवाई है। केवल ऐसे पत्थरो के आधार पर
ावासीय प्रयोजन नही कहा जा सकता है।

. वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी बिरोल की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 के
नुसार ग्राम पातुस के खसरा संख्या 61/9 रकबा 11-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल
कृष्ण पालीवाल, चुन्नीलाल एवं राकेश चौहान खातेदार दर्ज है। सक्षम अधिकारी की
ीकृति के बिना उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले रास्ते के
लर लगाकर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण के अनुरोध पर न्यायालय हाजा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से
रण में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी बिरोल, भू अभिलेख निरीक्षक
तारण मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर मौके पर
ावासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले रास्ते के पिलर लगाये हुए है तथा मौके
र उक्त भूमि में प्लॉट काटे हुए है। उक्त भूमि का अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग
या जा रहा है।

. भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम पातुस के अनुसार खसरा संख्या 61/9 रकबा 11-05
घा किस्म बारानी अव्वल जो प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कृषि भूमि है।

. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक
ावधान है :-

77. अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली – (1) भू-धारक के आवेदन पर
भिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए
हितकर हो या जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे के पर दी गई हो, उससे असंगत हो,
ा

ख) इस आधार पर कि उसने या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त
ंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधो के
तिकूल नहीं है, के अनुसार बेदखली का दायी होः
रन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा
के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा।

7. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी से संबंधित मौका रिपोर्ट दिनांक 24.
03.2017 एवं 06.10.2021 के अवलोकन मात्र ... स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी
ग्राम पातुस के खसरा संख्या 61/9 ... किस्म बारानी अव्वल जो कि
कृषि भूमि है के खातेदार एवं प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय कॉलोनी
प्रयोजनार्थ छोड़े जाने वाले रास्तो के पिलर लगाकर तथा मौके पर आवासीय कॉलानी
प्रयोजनार्थ प्लॉटिग करके अप्राधिकृत रूप से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग
किया गया है, जो वर्तमान में भी जारी है, जिसके लिए उक्त खातेदारान् द्वारा किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

म अधिकारी से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त नही की है, तथा न ही ा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा जवाब में यह कथन या है कि उनके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग किया जा है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इसके समर्थन में न तो वादग्रस्त आराजी की गिरदावरी तुत की है तथा न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। वादग्रस्त मे की न्यायालय हाजा द्वारा तलब नवीनतम मौका रिपोर्ट से भी वादपत्र के कथनो एवं दपत्र के साथ प्रस्तुत पूर्व की मौका रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतः उक्त खातेदारान् का र्युक्त प्रत्यय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत षि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में आने के साथ साथ काश्तकार और रकार के मध्य की संविदा का भी भंग है। अतः उक्त खातेदारान् की वादग्रस्त सम्पूर्ण मि में से अभिधृति अधिकार विलोपित करते हुए भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर के से बेदखल किया जाकर तत्काल कब्जा राज लिया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं वेत होगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी द्दद मौजा– पातुस, पटवार हल्का बिरोल तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 61/9, रकबा 1–05 बीघा, किस्म–बारानी अव्वल में से खातेदारान की सम्पूर्ण भूमि जो वाद–पत्र एवं का रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित है, से प्रतिवादीगण के ातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस र से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। हसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपार्ट नांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 इस र्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग गा। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित कर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
जिलास :– **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

.तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. श्री कृष्ण पालीवाल पुत्र रामरतन पालीवाल कौम पालीवाल सा0 कुशालपुरा
2. चुन्नीलाल पुत्र भानाराम कौम कुमावत सा0 कुशालपुरा
3. राकेश चौहान पुत्र दुर्गाराम चौहान कौम माली सा0 बांजाकुड़ी

जस्व प्रार्थना पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा ,** **मु0न0 :–87/2017**
77 राजस्थान **काश्तकारी**
धिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण नजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत धारा–177, स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्रस्त आराजी सरहद मौजा– पातुस, पटवार हल्का बिरोल तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर /9, रकबा 11–05 बीघा, किस्म–बारानी अव्वल में से खातेदारान की सम्पूर्ण भूमि जो –पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित है, से तवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज ते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त या जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका र्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 इस र्णय का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर र्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . –.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/05/2022** को जारी या गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
ीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मिजानः–			मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:58 IST
Reason: SelfAttested